

FORM NO. 03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा


अनवान

पटवारी हल्का गलवा



बनाम

तहसीलदार रायपुर

किस्म मुकदमा धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 2021/362 मु0न0 9 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तागिल में जारी हुई
31/11/21	<p>राज्य सरकार के राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज- /2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अनुसार एवं 2 अक्टुबर 2021 से प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में आमजन से सम्बधित समस्याओं का निराकरण हेतु पालना की जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।</p> <p>ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित केम्प में पटवारी हल्का गलवा के द्वारा प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गलवा की आराजी नम्बर 394 रकबा 0.69 है0, आराजी नम्बर 1225 रकबा 0.63 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.32 है0 सम्पूर्ण भूमि किस्म गै.मु.रास्ता जो सड़क के रूप में उपयोग आ रही है जिसे राजस्व रेकार्ड में गै.मु.रास्ते के बजाय बिलानाम गै. मु. सड़क दर्ज किया जाना है साथ में रिपोर्ट पटवारी भू.अ.नि. नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट पटवारी भू.अ. नि. एवं नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम गलवा की बिलानाम गै.मु. रास्ता आराजी नम्बर 394 रकबा 0.69 है0, आराजी नम्बर 1225 रकबा 0.63 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.32 है0 सम्पूर्ण भूमि सड़क के उपयोग में आ रही है जिसे राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गै.मु. रास्ते के बजाय बिलानाम गै.मु. सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग रायपुर के नाम दर्ज किया जाना उचित है।</p>	



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
	<p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन किया तो पाया कि पटवारी, भू.अ. नि. एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गलवा से सिंहपुरा जाने वाली सड़क जो ग्राम गलवा की बिलानाम आराजी नम्बर 394 रकबा 0.69 है0, आराजी नम्बर 1225 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.32 है0 सम्पूर्ण भूमि किस्म गै.मु.रास्ता सार्वजनिक रूप से सड़क के उपयोग में आ रही है जबकि उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गै.मु. रास्ता दर्ज है। मौके पर जो भूमि जिस रूप में काम आ रही उसका उसी रूप में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होना आवश्यक है ताकि रेकार्ड और मौके की स्थिति में एकरूपता बनी रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित भूमि को गै.मु.सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग रायपुर के नाम दर्ज किया जाना उचित है।</p> <p>अतः राज्य सरकार के आदेश अनुसार आदेश दिया जाता है कि ग्राम गलवा की बिलानाम आराजी नम्बर 394 रकबा 0.69 है0, आराजी नम्बर 1225 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.32 है0 सम्पूर्ण भूमि किस्म गै.मु.रास्ता को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म गै.मु.रास्ता के बजाय किस्म गै.मु. सड़क दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	
	<p style="text-align: center;">  9/11-2021 (सुन्दर लाल बन्वोडा) सहायक उपसचिव (अभियन्ता) अधिकारी रायपुर (मी.लि.वा.इ.डा.) </p>	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—

प्रार्थना पत्र

9/2021/2021/362

अनवान

1—पटवारी हल्का गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

1—तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत

अतः राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज- /2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक: प्र.गा.के संग/2021/08 दिनांक 09.11.2021 के अनुसार आदेश दिया जाता है कि ग्राम गलवा की बिलानाम आराजी नम्बर 394 रकबा 0.69 है0, आराजी नम्बर 1225 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.32 है0 सम्पूर्ण भूमि किस्म गै.मु.रास्ता को राजस्व रेकार्ड में किस्म गै.मु. रास्ता के बजाय गै.मु. सड़क दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 09.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



9/11/2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर, जिला भीलवाड़ा